FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

अचलाराम बनाम राजान खां

किस्म मुकदमा राज. आवेदन 111,128 RLR नं. 257/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/09/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रामस्वरूप शर्मा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14/10/2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
14/10/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थीगणों के नोटिस तामील हेतु तामील अप्राप्त। सीमाज्ञान पीठासीन अधिकारी डिग्री कार्य से व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 03/11/2020 को पेश हो। [initial]	
03/11/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। सीमाज्ञान पीठासीन अधिकारी डिग्री कार्य से व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 24/02/21 को पेश हो। [initial]	

24/02/21 [illegible] उपस्थित
[illegible] रिक्त है
अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 26/03/21
को पेश हो/

26/03/21 पत्रावली पेश हुई। बमुलाय फरीकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तजाम होकर दिनांक 21/06/21
को पेश हो/

21/06/2021 पत्रावली पेश हुई। बमुलाय फरीकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तजाम होकर दिनांक 03/08/2021
को पेश हो/

03/08/2021 पत्रावली पेश हुई। बमुलाय फरीकेन उपस्थित
पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है
अतः पत्रावली इन्तजाम होकर दिनांक 12/11/21
को पेश हो/

12/11/2021 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्पों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 06/04/2022 को पेश हो/

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

हुक्म	**हुक्म** कार्यवाही **मय** इनिशियल्यस **जज**	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18/04/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

: वाद / 2022 / 325 दिनांक :

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. अचलाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 26, जाति मेघवाल, निवासी मीर मोहम्मद की ढाणी, पटवार मण्डल नौसर, तहसील बायतु (बाड़मेर)	1. रमजान खां पुत्र मीर मोहम्मद वगैरा 07, जाति मुसलमान, निवासी मीर मोहम्मद की ढाणी, पटवार मण्डल नौसर, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 257 / 2020

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – मीर मोहम्मद की ढाणी, पटवार हल्का – नौसर, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 363 रकबा 29.1968 हेक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 06/04/2022

क्रमांक : वाद / 2022 / 326-330
प्रतिलिपि:–निम्न **को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।**

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री अचलाराम पुत्र ताजाराम वगैरा 26,
4. विप्रार्थी श्री रमजान खां पुत्र मीर मोहम्मद वगैरा 07,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु / गिड़ा / नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु